न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 04/2021 निगरानी ग्राम पंचायत

1. सीताराम पुत्र शिवप्रसाद
2. मदनमोहन पुत्र शिवप्रसाद
3. राधामोहन पुत्र शिवप्रसाद

} समस्त जाति ब्राह्मण निवासी बावडीखेडा तहसील बसवा जिला दौसा।

निगरानीकारान

बनाम

1. किशनलाल पुत्र छुट्टनलाल जाति जांगिड निवासी बावडीखेडा तहसील बसवा जिला दौसा।
2. ग्राम पंचायत हिंगोटा जरिये सचिव ग्राम पंचायत हिंगोटा तहसील बसवा जिला दौसा।

गैरनिगरानीकारान

(निगरानी विरूद्ध आदेश पंचायत समिति बांदीकुई
क्रमांक/पसबा/पंचायत/2020/11634 दिनांक 7.9.2020)

उपस्थिति :श्री गोपाल बन्धु शर्मा अधिवक्ता निगरानीकारान उपस्थित।
: श्री अमरसिंह गुर्जर अधिवक्ता गैर निगरानीकार सं. 1 उपस्थित।

—:निर्णय:— दिनांकः 06.07.2023

संक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार से है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 ने एक अपील पंचायत समिति बांदीकुई में दिनांक 18.11.2014 को इस आशय की पेश की कि ग्राम पंचायत हिंगोटा द्वारा दिनांक 15.8.1991 को श्री शिवप्रसाद शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा निवासी बावडीखेडा के नाम से जारी पट्टे पर ऐतराज करते हुये यह निवेदन किया कि पट्टे वाली जमीन अपीलान्ट की पुश्तैनी जमीन है तथा वर्तमान में उक्त जमीन पर अपीलान्ट का कब्जा चला आ रहा है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.8.1991 को जारी शिवप्रसाद शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा के नाम से जारी पट्टा फर्जी एवं निरस्त करने योग्य है। जिस पर प्रशासन एवं स्थापना समिति की बैठक में निर्णय लेकर दोनो पक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। ग्राम पंचायत हिंगोटा से पट्टे सम्बन्धित पत्रावली मय रिकॉर्ड चाही गई। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत हिंगोटा ने अपने पत्र दिनांक 4.10.2017 से यह अवगत कराया कि ग्राम पंचायत में उक्त पट्टे सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। प्रशासन एवं स्थापना समिति के निर्णय दिनांक 10.9.2018 प्रस्ताव संख्या 3 के अनुसार 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाकर मौका पर्चा रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देशित किया गया। उक्त कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उक्त पट्टे में वर्णित जगह पर श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा का कभी किसी प्रकार का कब्जा या आधिपत्य नहीं रहा। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों से जानकारी लेने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त जगह अपीलकर्ता श्री किशनलाल पुत्र छुट्टनलाल जांगिड निवासी बावडीखेडा की पैतृक सम्पत्ति है तथा इस जगह पर हमेशा इनका कब्जा रहा है। वर्तमान में भी इन्ही का कब्जा है। इस जगह पर ही शिवप्रसाद शर्मा को जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी होना बताया है। वह निरस्त करने योग्य है। अपील स्वीकार की जाती है। विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई के उक्त आदेश क्रमांक 11634 दिनांक 7.9.2020 से व्यथित होकर निगरानीकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानी न्यायालय में पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर निगरानीकारान की तलबी की गई। प्रकरण से सम्बन्धित पंचायत समिति बांदीकुई की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता निगरानीकारान एवं अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 व अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकारान द्वारा बहस के दौरान निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि पंचायत समिति बांदीकुई का आदेश दिनांक 7.9.2020 निरस्तनीय है। दिनांक 15.12.2014 को विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई को यह अवगत करवा दिया था कि उक्त मामला सिविल जज बांदीकुई में विचारधीन है जिसमे न्यायालय के स्टे को पत्रावली में शामिल नहीं कर रखा है। निगरानीकार के पिता शिवप्रसाद पुत्र मूलचन्द को जो पट्टा ग्राम पंचायत हिंगोटा द्वारा जारी किया गया जिसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिनांक 14.3.1990 को पेश किया गया था। जिसको दायरा संख्या 6 दिनांक 15.03.1990 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 25.6.1991 को आपत्ति की सूचना ग्राम पंचायत हिंगोटा द्वारा जारी की गई एवं 15.8.1991 को तत्कालीन प्रशासक ग्राम पंचायत हिंगोटा शम्भूदयाल शर्मा द्वारा पट्टा जारी करने का फैसला सुनाया गया एवं रोकड बही केश बुक ग्राम पंचायत हिंगोटा 1991–92 की मद संख्या 45 पर 64 रूपये जमा होने का रोकड बही पर दर्ज है। दिनांक 7.9.2020 को पंचायत समिति बांदीकुई का कोरम पूरा नहीं होने के बावजूद भी विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई द्वारा हठधर्मिता पूर्ण निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने यह भी अपने आदेश में अंकित किया है कि उक्त पट्टे सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जबकि निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत हिंगोटा के तत्कालीन सरपंच केसी देवी से सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त कर रखी है एवं पंचायत समिति के रिकॉर्ड में भी रोकड बही की रसीद संलग्न है। सिविल न्यायाधीश बांदीकुई में विचाराधीन प्रकरण में दोनो पक्षो की उपस्थिति में मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिसमे भी मौके पर निगरानीकार का कब्जा था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मिलीभगत से निर्णय पारित कर दिया, जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल संख्या 6 ग्राम पंचायत से तलब नहीं की गई। यदि ग्राम पंचायत की मिसल तलब की जाती तो स्थिति स्पष्ट हो जाती । ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.8.1991 को पट्टा जारी करने के बाद इतने लम्बे समय पश्चात् अपील प्रस्तुत की गई है। जो चलने योग्य नहीं थी। विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई द्वारा प्रकरण में सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 7.9.2020 पारित किया है। जो निरस्त फरमाये जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि गैर निगरानीकार संख्या 1 की पुश्तैनी रिहायशी ग्वाडी आबादी ग्राम बावडीखेडा में चली आ रही है। जिसकी लम्बाई पूर्व पश्चिम 14 गज व चौडाई उत्तर दक्षिण 10 गज कुल 140 वर्ग गज तथा उक्त भूखण्ड का दूसरा हिस्सा सवा दो गज X उत्तर दक्षिण 10 गज कुल 22.5 वर्ग गज का उक्त भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 162.5 वर्ग गज है। इनके उत्तर दिशा में मूलचन्द मोदी की दुकान व स्वयं गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता छुट्टनलाल का छपरा दक्षिण में छप्पन मिस्त्री का मकान, पूर्व में आम रास्ता व चबूतरा पश्चिम में रास्ता स्थित है। उक्त भूमियों का गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता स्व. छुट्टन लाल पुत्र हनूताराम के नाम से ग्राम पंचायत हिंगोटा द्वारा मिसल संख्या 2 दायर दिनांक 12.6.1964 द्वारा पट्टा संख्या 29 दिनांक 4.9.1964 को जारी किया गया है तथा उसी के पास वाले दूसरे भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत हिंगोटा द्वारा मिसल संख्या 16/64 दायर दिनांक 28.7.1964 पट्टा संख्या 34 भी गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता छुट्टनलाल पुत्र हनूताराम के नाम से दिनांक 23.10.1964 को जारी किया गया है। उपरोक्त भूमि लगातार आज दिन तक गैर निगरानीकार बतौर मालिक कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूखण्ड के ग्राम पंचायत द्वारा दो पट्टे जारी किये गये है। जो गैर निगरानीकार के पास मौजूद है। निगरानीकार का कभी भी किसी प्रकार से उक्त भूमि से सम्बन्ध नहीं रहा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निगरानीकारान द्वारा दिनांक 5.8.2014 को उक्त भूमि विवादित में स्थित गैर निगरानीकार की खाम दीवार को तोडने की कोशिश की तो गैर निगरानीकार ने उनके विरूद्ध सिविल जज कनिष्ठ खण्ड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक दावा उनवानी किशनलाल बनाम सीताराम वगैरा पेश किया था। निगरानीकारान ने उक्त भूखण्डों को कभी भी किसी से नहीं खरीदा है। ना ही उसके पास भूखण्डो का कोई लेखा जोखा है। ग्राम पंचायत हिंगोटा ने गुपचुप ढंग से बिना आपत्ति नोटिस जारी किये ही बिना मौके का निरीक्षण करवाये ही विधि विरूद्ध ढंग से निगरानीकार के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य तथा निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि ग्राम पंचायत के स्वामित्व की कभी भी नही रही है। ग्राम पंचायत ने यह भी नहीं देखा की उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में गैर निगरानीकार के नाम कर दिया गया है। विवादित पट्टा कतई फर्जी तरीके से बिना प्रक्रिया अपनाये ही ग्राम सचिव द्वारा 15 अगस्त 1991 को जारी कर दिया, जो निरस्त फरमाया जावे।

हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध प्रशासन एवं स्थापना स्थाई समिति बांदीकुइ की बैठक दिनांक 10.9.2018 को मौका रिपोर्ट हेतु गठित कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत पट्टे में वर्णित जगह पर श्री शिवप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा का कभी भी कब्जा या आधिपत्य नहीं रहा होना तथा उक्त जगह गैर निगरानीकार संख्या 1 श्री किशनलाल पुत्र श्री छुट्टनलाल जांगिड निवासी बावडीखेडा की पैतृक सम्पत्ति होना तथा इस जगह पर हमेशा इन्ही का कब्जा रहना तथा वर्तमान में भी इन्ही का कब्जा होना व्यक्त करते हुये शिवप्रसाद शर्मा द्वारा जो पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी होना बताया गया है को निरस्त योग्य माना है। पत्रावली में उपलब्ध विकास अधिकारी का पत्र क्रमांक 3345 दिनांक 4.10.2017 के द्वारा भी गैर निगरानीकार संख्या 1 को सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत हिंगोटा द्वारा दिनांक 15.08.1991 को शिवप्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द निवासी बावडीखेडा के नाम से कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है। गैर निगरानीकार संख्या 1 द्वारा प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित पट्टा संख्या 29 दिनांक 4.9.1964 एवं पट्टा संख्या 34 दिनांक 23.10.1964 पूर्व में ही जारी किया जाना व्यक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति बांदीकुई के आदेश क्रमांक/पसबा/पंचायत/2020/11634 दिनांक 7.9.2020 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ पंचायत समिति बांदीकुई की मूल पत्रावली वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा